रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2014/आषाढ़ 31, 1936
No. 375] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2014/ASHADHA 31, 1936

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 519(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क') नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क') संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क') नियम, 2013 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) की अनुसूची-I में, क्रम संख्या 1 और 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्र.सं.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	पदों की कुल संख्या	पदनाम	मंत्रालय/विभाग	पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	उच्चतर श्रेणी वेतन बैंड–80,000 रु. (नियत)	1* (2014)	प्रधान महानिदेशक/ प्रेस रजिस्ट्रार	समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, भारतीय समाचार पत्र के रजिस्ट्रार का कार्यालय,	7*
2.	चयन श्रेणी उच्च प्रशासनिक श्रेणी वेतन	6* (2014)	महानिदेशक/ प्रेस रजिस्ट्रार	महानिदेशालय : दूरदर्शन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्र प्रचार	

	बैंड 67000 रु.- (3% वार्षिक वेतनवृद्धि)- 79,000/-			निदेशालय, प्रत्येक में एक पद और प्रेस सूचना ब्यूरो में दो पद। सात पदों में से एक पद उच्चतर श्रेणी में और छह पद चयन श्रेणी में प्रवर्तित होंगे । प्रधान महानिदेशक का पद, ऊपर उल्लिखित छह मीडिया एककों अर्थात् समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, भारतीय समाचार पत्र के रजिस्ट्रार का कार्यालय, महानिदेशालय : दूरदर्शन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्र प्रचार निदेशालय और प्रेस सूचना ब्यूरो में से किसी में परिवर्तनशील आधार पर प्रवर्तित होगा । उच्चतर श्रेणी पद धारण करने वाले पदधारी का पदनाम प्रधान महानिदेशक होगा और यह पदनाम मीडिया एककों में पदधारण करने वाले ऐसे व्यक्तियों को विचार में लाए बिना अपरिवर्तित रहेगा, सिवाए भारतीय समाचार पत्र के रजिस्ट्रार के कार्यालय के, जहां यह प्रेस रजिस्ट्रार के रूप में पदाभिहित होगा"।	

3. मूल नियमों में, अनुसूची-I के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"**टिप्पण 1 :** प्रधान महानिदेशक का पदनाम, मीडिया एककों में पदधारण करने वाले ऐसे व्यक्तियों को विचार में लाए बिना अपरिवर्तित रहेगा, सिवाए भारतीय समाचार पत्र के रजिस्ट्रार के कार्यालय के, जहां यह प्रेस रजिस्ट्रार के रूप में पदाभिहित होगा । प्रधान महानिदेशक का पद, छह मीडिया एककों अर्थात् समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, दूरदर्शन महानिदेशालय, भारतीय समाचार पत्र के रजिस्ट्रार का कार्यालय : विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्र प्रचार निदेशालय और प्रेस सूचना ब्यूरो में से किसी में परिवर्तनशील आधार पर प्रवर्तित होगा, जो उस विशिष्ट मीडिया एकक में उच्चतर श्रेणी स्तर के अधिकारी की तैनाती पर निर्भर करता है ।

टिप्पण 2 : महानिदेशक का पदनाम, समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी, महानिदेशालय : दूरदर्शन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्र प्रचार निदेशालय और प्रेस सूचना ब्यूरो में प्रवर्तित होगा और भारतीय समाचार पत्र के रजिस्ट्रार के कार्यालय में पदनाम प्रेस रजिस्ट्रार होगा" ।

4. मूल नियमों की अनुसूची IV में, क्र. सं. 2 और 3 के सामने, स्तंभ (3) में क्र. सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"3. प्रधान महानिदेशक/प्रेस रजिस्ट्रार,
नई दिल्ली —सदस्य" ।

5. मूल नियमों की अनुसूची IV में, क्र. सं. 4 और 5 के सामने, स्तंभ (3) में क्र. सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"2. प्रधान महानिदेशक/प्रेस रजिस्ट्रार,
नई दिल्ली —सदस्य"।

6. मूल नियमों की अनुसूची V के स्तंभ (4) में, क्र. सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1. प्रधान महानिदेशक/प्रेस रजिस्ट्रार,
नई दिल्ली —अध्यक्ष"।

7. मूल नियमों की अनुसूची VI में, क्र. सं. 1 और 2 के सामने, स्तंभ (3) में क्र. सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"2. प्रधान महानिदेशक/प्रेस रजिस्ट्रार,
नई दिल्ली —सदस्य"।

[फा. सं. ए-50013/91/2014-आईआईएस]

अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 73, तारीख 4 मार्च, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2014

G.S.R. 519(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Information Service (Group 'A') Rules, 2013, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Information Service (Group 'A') Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Information Service (Group 'A') Rules, 2013 (hereinafter referred to as the principal rules), in Schedule I, for serial numbers 1 and 2 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:—

S. No.	Pay band and grade pay or pay scale	Total No. of posts	Designation	Ministry/Department	No. of posts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	Higher Grade Pay Band - Rs. 80,000 (fixed)	1* (2014)	Principal Director General/ Press Registrar	One post each in News Services Division: All India Radio, Office of the Registrar of Newspapers for India, Directorate General: Doordarshan, Directorate of Advertising and Visual	7*

2.	Selection Grade Higher Administrative Grade Pay Band Rs. 67000 - (annual increment 3%) -79,000/-	6* (2014)	Director General/Press Registrar	Publicity, Directorate of Field Publicity and two posts in the Press Information Bureau. Out of seven posts, one post shall be operated in the Higher Grade and six posts in the Selection Grade. The post of Principal Director General shall be operated in any of the six media units mentioned above, i.e. News Services Division: All India Radio, Office of the Registrar of Newspapers for India, Directorate General: Doordarshan, Directorate of Advertising and Visual Publicity, Directorate of Field Publicity and Press Information Bureau on floating basis. The designation of the incumbent holding the Higher Grade post shall be Principal Director General and it shall remain unchanged irrespective of such person holding the post in the media units, except in Office of the Registrar of Newspapers for India, where it shall be designated as Press Registrar".	

3. In the principal rules, after Schedule I, the following Notes shall be inserted, namely:—

"**Note 1:** The designation of Principal Director General shall remain unchanged irrespective of such person holding the post in the media units except in Office of the Registrar of Newspapers for India, where it shall be designated as Press Registrar. The post of Principal Director General shall be operated in any of the six media units i.e., News Services Division: All India Radio, Directorate General: Doordarshan, Office of the Registrar of Newspapers for India, Directorate of Advertising and Visual Publicity, Directorate of Field Publicity and Press Information Bureau on floating basis which depends on the posting of Higher Grade level officer in that particular media unit.

Note 2: The designation of Director General shall be operated in News Services Division: All India Radio, Directorate General: Doordarshan, Directorate of Advertising and Visual Publicity, Directorate of Field Publicity and Press Information Bureau and the designation of Press Registrar in the Office of the Registrar of Newspapers for India".

4. In the principal rules, in Schedule IV, against serial numbers 2 and 3, under column (3), for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"3. Principal Director General/ Press Registrar,
New Delhi —Member".

5. In the principal rules, in Schedule IV, against serial numbers 4 and 5, under column (3), for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"2. Principal Director General/ Press Registrar,
New Delhi —Member".

6. In the principal rules, in Schedule V, under column (4), for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"1. Principal Director General/ Press Registrar,
New Delhi —Chairman".

7. In the principal rules, in Schedule VI, against serial numbers 1 and 2, under column (3), for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"2. Principal Director General/ Press Registrar,

New Delhi —Member".

[F. No. A-50013/91/2014-IIS]

ANURAG SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 73, dated the 4th March, 2013.

2972 GI/14-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.